राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– 199/2024

निर्णय दिनांक : 31.1.25

सरिता बनाम रामप्रसाद वगै0

1. श्रीमती सरिता पत्नी अशोक निवासी हनुमान जी की वाणी तन बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज)

वादिया

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र गिरधारी निवासी अणगासर तहसील व जिला झुझुनु।
2. बाबूलाल पुत्र गिरधारी निवासी अणगासर तहसील व जिला झुझुनु।
3. महावीर पुत्र गिरधारी निवासी अणगासर तहसील व जिला झुझनूं।
4. सुमिता पत्नी रामकरण निवासी अणगासर तहसील व जिला झुझुनु।
5. विनोद कुमार पुत्र रामकरण निवासी अणगासर तहसील व जिला झुझुनूं।
6. मुकेश कुमार पुत्र रामकरण निवासी अणगासर तहसील व जिला झुझुन्।
7. सुमन कुमारी पुत्री रामकरण निवासी अणगासर तहसील व जिला झुझुनू।
8. अनिता पुत्री रामकरण निवासी अणगासर तहसील व जिला झुझुन्।
9. छोटी देवी पत्नी प्यारेलाल निवासी अणगासर तहसील व जिला झुझुनूं।
10. दिनेश पुत्र प्यारेलाल निवासी अणगासर तहसील व जिला झुंझुनूं।
11. सुमित्रा पुत्री प्यारेलाल निवासी अणगासर तहसील व जिला झुंझुनूं।
12. बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामिण बैंक शाखा कलेक्ट्रेट सर्किल झुझुनू जरिये शाखा प्रबंधक।
13. बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामिण बैंक शाखा भीमसर जरिये शाखा प्रबंधक।
14. राजस्थान सरकार भूमि धारी जरिये तहसीलदार झुझुनूं।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि जमीन हाल ख.न 600 रकबा 4.07 हेक्टर सरहद राजस्व ग्राम अणगासर पटवार हल्का आबूसर तहसील झुझुनू में स्थित है। जमीन वर्णित भूमि वादिया की क्रयशुदा भूमि है व प्रतिवादीगण 1 लगायत 11 की पैतृक शामलाती भूमि है जिसका अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। वादी व प्रतिवादीगण बाहमी बंटवारा कर अपनी अपनी सहूलियत से काबिज कास्त है। वादिया अपने कब्जे काश्त की भूमि में सुधार करना चाहती है तथा बोरवेल कर कृषि कार्य करना चाहती है। इस हेतु प्रतिवादीगण को विभाजन हेतु कहा तो वे विभाजन हेतु बहाने बनाते रहे तब वादिया को न्यायालय में वाद दायर करना पड़ा।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार वाद वादी प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया जाकर दिनांक 09.12.2024 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर तहसीलदार झुंझुनूं से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलर ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू0 अ0/2024/2453 दिनांक 23.12.2024 के द्वारा न्यायालय में भिजवाये गये जो शामिल मिसल किये गये। वादिया की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार मीणा तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामकुमार राठी उपस्थित आये। वकील पक्षकारान को बहस पत्रावली पर सुना गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण ने जाहिर किया कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किया जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अधिवक्तागण को सुना जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद वादिया सिद्ध होने पर स्वीकार किया जाना न्यायालय मत पर न्यायसंगत प्रतीत होता है। लिहाजाः–

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

—: निर्णय :—

वाद वादिया अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम अणगासर पटवार हल्का आबूसर तहसील झुंझुनू में भूमि हाल ख.न. 600 रकबा 4.07 हैक्टर मुताबिक कृषि भूमि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना—अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/1/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

31/1/25

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

Scanned with OKEN Scanner